

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 812/2024

अनवान : -

1. युसुफ अली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. रसीद खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुमारी पुष्पा पुत्री किशनलाल जाति महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा।
3. कृष्ण पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन मसीता वाली तहसील टिब्बी।
4. किसनाराम पुत्र पुर्णराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
5. मकसुद अली पुत्र सलामुदीन जाति पठान साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
6. मुखराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
7. मुस्ताक अली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. महबुब अली पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. रमेश पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन खनानिया तहसील नोहर।
10. सुनील कुमार पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
11. सम्पतराम पुत्र चम्पालाल जाति महाजन साकिन करणपुरा तहसील भादरा।
12. हरिसिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
13. हसराम पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
14. हारून अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान साकिन नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी स० 9  
श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता प्रतिवादी स० 11  
निर्णय दिनांक: 19/12/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 33/32 की कुल 3.7065 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 33/32 की कुल 3.7065 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।



वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8, 10, 12 ता 14 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 9 व 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात बहस सुनी गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण ने बहस में निवेदन किया की उक्त विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय है। सभी काश्तकारों का खाता व लगान अलग नहीं किया गया है। अतः पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वकील प्रतिवादी का ऐतराज स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 3.7065 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 33/32 की कुल 3.7065 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 मुस्ताक अली पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा0 नोहर खातेदार— 309/439(62) किला न0 16/2 की 0.2114, 17 की 0.253, 18/4 की 0.0229 हैक्ट, 25/1 की 0.0421 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 0.5294 हैक्ट नहरी
- 2 रसीदखां पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा0 नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) ओबीसी शाखा नोहर— 309/439 (62) किला न0 14 की 0.253, 16/1 की 0.0416, 15 की 0.253 कुल किता 3 रकबा 0.5476 हैक्ट नहरी
- 3 युसुफ अली पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा0 नोहर खातेदार— 309/439 (62) किला न0 25/2 की 0.2109, 24 की 0.253, 23/2/1 की 0.656 कुल किता 3 रकबा 0.5295 हैक्ट नहरी

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

सलाऊदीन हि0 4218/21000 जाति पठान सा0 रामगढ़ खातेदार, मुखराम पुत्र जगराम हि0 759/21000 जाति जाट सा0 परलीका खातेदार, महबूब अली पुत्र अहमद अली हि0 1835/21000 जाति कुम्हारमुसलमान सा0 नोहर खातेदार, रमेश पुत्र बीरबलराम हि0 38/21000 जाति जाट सा0 खनानिया खातेदार, सुनील कुमार पुत्र मदनलाल हि0 19/21000 जाति अग्रवाल सा0 करणपुरा खातेदार, सम्पतराम पुत्र चम्पालाल हि0 126/21000 जाति महाजन सा0 करणपुरा तहसील भादरा खातेदार, हरीसिंह पुत्र पूर्णराम हि0 348/21000 जाति जाट सा0 रामगढ़ खातेदार, हंसराज पुत्र हरीराम हि0 1645/21000 जाति जाट सा0 रामपुराउर्फरामसरातहटिब्बी खातेदार, हारूनअली पुत्र जमालदीन हि0 1581/21000 जाति कुम्हारमुसलमान सा0 नोहर खातेदार—  
308/349(63) किला न0 6, 15 की 0.506, 309/439(62)कि0न0 10, 11, 12, 19, 20 की 1.265, 13/4 की 0.126, 18/5 की 0.1041, 23/2/2 की 0.0989 कुल किता 10 रकबा 2.1 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 812/2024

अनवान : -

1. युसुफ अली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।

- वादी

### बनाम

1. रसीद खां पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. कुमारी पुष्पा पुत्री किशनलाल जाति महाजन साकिन भादरा तहसील भादरा।
3. कृष्ण पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन मसीता वाली तहसील टिब्बी।
4. किसनाराम पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
5. मकसुद अली पुत्र सलामुदीन जाति पठान साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
6. मुखराम पुत्र जगराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
7. मुस्ताक अली पुत्र सुभान खां जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
8. महबुब अली पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार साकिन नोहर तहसील नोहर।
9. रमेश पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन खनानिया तहसील नोहर।
10. सुनील कुमार पुत्र मदनलाल जाति अग्रवाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
11. सम्पतराम पुत्र चम्पालाल जाति महाजन साकिन करणपुरा तहसील भादरा।
12. हरिसिंह पुत्र पूर्णराम जाति जाट साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।
13. हसराम पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
14. हारून अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान साकिन नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 812 सन 2014 निर्णय दिनांक -19/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स० 33/32 की कुल 3.7065 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 मुस्ताक अली पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा० नोहर खातेदार- 309/439(62) किला न० 16/2 की 0.2114, 17 की 0.253, 18/4 की 0.0229 हैक्ट, 25/1 की 0.0421 हैक्ट कुल किता 4 रकबा 0.5294 हैक्ट नहरी
- 2 रसीदखां पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा० नोहर खातेदार राहिन हिस्सा 1/3 (पूर्ण खाता) ओबीसी शाखा नोहर- 309/439 (62) किला न० 14 की 0.253, 16/1 की 0.0416, 15 की 0.253 कुल किता 3 रकबा 0.5476 हैक्ट नहरी
- 3 युसुफ अली पुत्र सुभानखां जाति कुम्हार सा० नोहर खातेदार- 309/439 (62) किला न० 25/2 की 0.2109, 24 की 0.253, 23/2/1 की 0.656 कुल किता 3 रकबा 0.5295 हैक्ट नहरी
- 4 कुमारी पुष्पा पुत्री किशनलाल हि० 4681/21000 जाति महाजन सा० भादरा खातेदार, कृष्ण पुत्र रामप्रताप हि० 5060/21000 जाति जाट सा० मसीतावाली खातेदार, किसनाराम पुत्र पूर्णराम हि० 348/21000 जाति जाट सा० रामगढ़ खातेदार, मकसुदअली पुत्र

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

- 4 कुमारी पुष्पा पुत्री किशनलाल हि0 4681/21000 जाति महाजन सा0 भादरा खातेदार, कृष्ण पुत्र रामप्रताप हि0 5060/21000 जाति जाट सा0 मसीतावाली खातेदार, किसनाराम पुत्र पूर्णराम हि0 348/21000 जाति जाट सा0 रामगढ़ खातेदार, मकसुदअली पुत्र सलाऊदीन हि0 4218/21000 जाति पठान सा0 रामगढ़ खातेदार, मुखराम पुत्र जगराम हि0 759/21000 जाति जाट सा0 परलीका खातेदार, महबूब अली पुत्र अहमद अली हि0 1835/21000 जाति कुम्हारमुसलमान सा0 नोहर खातेदार, रमेश पुत्र बीरबलराम हि0 38/21000 जाति जाट सा0 खनानिया खातेदार, सुनील कुमार पुत्र मदनलाल हि0 19/21000 जाति अग्रवाल सा0 करणपुरा खातेदार, सम्पतराम पुत्र चम्पालाल हि0 126/21000 जाति महाजन सा0 करणपुरा तहसील भादरा खातेदार, हरीसिंह पुत्र पूर्णराम हि0 348/21000 जाति जाट सा0 रामगढ़ खातेदार, हंसराज पुत्र हरीराम हि0 1645/21000 जाति जाट सा0 रामपुराउर्फरामसरातहटिब्बी खातेदार, हारूनअली पुत्र जमालदीन हि0 1581/21000 जाति कुम्हारमुसलमान सा0 नोहर खातेदार— 308/349(63) किला न0 6, 15 की 0.506, 309/439(62)कि0न0 10, 11, 12, 19, 20 की 1.265, 13/4 की 0.126, 18/5 की 0.1041, 23/2/2 की 0.0989 कुल किता 10 रकबा 2.1 हैक्ट नहरी

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर